

पंचनामा (OBC)

पिछड़ा - वर्ग

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.

आत्मज/आत्मजा.....जाति.....आयु.....

निवास ग्राम.....ग्राम पंचा.प.ह.नं.

विकासखण्ड.....तहसील.....जिला.....के स्थाई

निवासी हैं। तथा इनके पूर्वज के व्यवसाय नाते रिश्तेदारी, भाषा, बोली, रीति-रिवाज उसके पूर्व से इसी पते पर

निरन्तर निवासरत हैं व इस ब्रिथि को इस पते पर निवास करने वाले आवेदक के परिवार के मुखिया का

नाम.....था। जिनका आवेदक के साथ.....संबंध है।

आवेदक के पूर्वजों का व्यवसाय नाते, रिश्तेदारी, भाषा-बोली, रीति-रिवाज को परम्पराओं के आधार पर

इनकी जाति.....है। और इस पिछड़ा वर्ग को संविधान के अनुच्छेद

क्रं. एफ 8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा क्रं.पर पिछड़ा

वर्ग के रूप में अधिमान्य किया गया है। के आधीन()राज्य के संबंध में पिछड़ा-वर्ग के रूप में अधिमान्य

किया गया है।

1- सरपंच के हस्ताक्षर.....

नाम.....

2- ग्राम पंचायत.....

3- उप सरपंच के हस्ताक्षर.....

4- पटैल के हस्ताक्षर.....

5- कोटवार के हस्ताक्षर.....